कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

–।। प्रारंभिक अधिसूचना ।।–

क्रमांक / 10467 / भू–अर्जन / 2026 कोरबा, दिनांक 07/09/2026

क्रमांक 202402052900006 / अ–82 / 2023–24– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

<u>अनुसूची</u>

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह. नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोरबा	पाली	खराबहार / 5	436	0.154	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोरबा	गुंजननाला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष निर्माण कार्य
			437	0.162		
			438	0.030		
			441	0.224		
			442/1	0.040		
			442/2	0.040		
			443	0.370		
			444	0.110		
योगः–			**कुल खसरा नंबर 08**	**1.130**	–	–

2.यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3.भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।

4.प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5.प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।

6.प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाली जिला कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू –अर्जन अधिकारी पाली
जिला– कोरबा (छ.ग.)

(कुणाल दुदावत)
कलेक्टर
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृष्ठा0क0 / 10468 / भू–अर्जन / 2026 कोरबा दिनांक 07/03/2026

प्रतिलिपिः–

01. सचिव, छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

02. अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।

03. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकारी पाली को उपलब्ध करावें।

04. नियंत्रक,शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव छ.ग. की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग–1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

05. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी.कोरबा को सूचनार्थ। कृपया इसे राज्य एवं जिले के वेबसाईड में अपलोड करें।

06. तहसीलदार पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

07. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

08. सचिव ग्राम पंचायत खराबहार तहसील पाली, जिला कोरबा को सूचनार्थ । उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें।

कलेक्टर
कोरबा, छत्तीसगढ़